# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
## पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, R.A.S
वाद संख्या 062 / 2024
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

य ढाका पुत्र श्री अशोक ढाका जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व ला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ....वादी

ब ना म

1. अशोक कुमार पुत्र श्री बलराम जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

....... प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित– | श्री संजय जनवेजा | (अधिवक्ता वादी ) |
| | श्री रोबिन गुम्बर | (प्रति. संख्या 1 व 2 ) |
| | पैरोकार राज | (प्रतिवादी–3) |

दिनांक 28 अक्टूबर 2024

## –निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वाके चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. रीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/5 (मुताबिक माबन्दी सम्वत 2072–2075) का मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.289 हैक्टेयर नहरी मय खाला षि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 1.6445 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला गंगानगर का खाता संख्या 5/4 का मुरब्बा नम्बर 33 व 34 की कुल 1.593 हैक्टेयर नहरी षि भूमि व इसी चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा हसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 21/22 का मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 7/25 हिस्सा यानि 1.771 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 22/23 का मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 6.171 हैक्टेयर नहरी मय गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि में से 1406/6171 हिस्सा यानि 1.406 हैक्टेयर नहरी मय गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 56/46 का मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 2.908 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 7/2908 हिस्सा यानि 0.007 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्तशुदा है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादी के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी अजय ढाका को चक 9 एच एच का खाता संख्या 4/5 का मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.289 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 1.6445 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच का खाता संख्या 22/23 का मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 6.171 हैक्टेयर नहरी मय गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि में से 1406/6171 हिस्सा यानि 1.406 हैक्टेयर नहरी मय गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच का खाता संख्या 56/46 का मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 2.908 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 7/2908 हिस्सा यानि 0.007 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि घरू बंटवारा में दी हुई है। उक्त घरू बंटवारानामा के अनुसार वादी के हिस्से में आई हुई कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की कृषि भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की कृषि भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 01.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:37:25 IST
Reason: SelfAttested

....2.... लगातार

वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया कि वादी अजय ढाका को चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/5 का मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.289 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 1.6445 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 22/23 का मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 6.171 हैक्टेयर नहरी मय गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि में से 1406/6171 हिस्सा यानि 1.406 हैक्टेयर नहरी मय गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 56/46 का मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 2.908 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 7/2908 हिस्सा यानि 0.007 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 चक 9 एच एच तहसील श्रीगंगानगर, नकल मिसल बन्दोबस्त व अपने परिवार का पुराना राशन कार्ड व जन आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दि 22.10.2024 प्रस्तुत किया। वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

प्रति सं0 3 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.10.2024, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 चक 9 एच एच तहसील श्रीगंगानगर, नकल मिसल बन्दोबस्त एवमं अन्य दस्तावेजों के आधार पर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

**आदेश**

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.10.2024 के अनुसार वादी अजय ढाका को चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/5 का मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3. 289 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 1.6445 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 22/23 का मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 6.171 हैक्टेयर नहरी मय गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि में से 1406/6171 हिस्सा यानि 1.406 हैक्टेयर नहरी मय गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 56/46 का मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 2.908 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 7/2908 हिस्सा यानि 0.007 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है) का खातेदार घोषित किया जाता है, अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर, इसके स्थान पर उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज की जावे तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी। आदेशानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग नामान्तरण किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

# डिक्री

(Order 20 Rule 6-7 CPC)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता R.A.S.**

...य ढाका पुत्र श्री अशोक ढाका जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व ...ला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

....वादी

ब ना म

1. अशोक कुमार पुत्र श्री बलराम जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

....... प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित– | श्री संजय जनवेजा | (अधिवक्ता वादी ) |
| | श्री रोबिन गुम्बर | (प्रति. संख्या 1 व 2 ) |
| | पैरोकार राज | (प्रतिवादी–3) |

**दिनांक 28 अक्टूबर 2024**

**वाद संख्या 062/2024**

**अन्तर्गत धारा 88, 53, राज. काश्तकारी अधिनियम**

...करण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रैक श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय ...नवेजा, अधि.प्रति.सं 1 व 2 श्री रोबिन गुम्बर व पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया ...ता है कि–

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.10.2024 के अनुसार वादी ...जय ढाका को चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा ...हसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/5 का मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.289 ...क्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 1.6445 हैक्टेयर नहरी मय खाला ...ृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा ...हसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 22/23 का मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 6.171 ...क्टेयर नहरी मय गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि में से 1406/6171 हिस्सा यानि 1.406 हैक्टेयर नहरी ...य गै0 मु0 ढाणी कृषि भूमि व इसी चक 9 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अ. निरीक्षक ...त्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 56/46 का मुरब्बा नम्बर 5 की ...ुल 2.908 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 7/2908 हिस्सा यानि 0.007 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि ...जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है) का खातेदार घोषित किया जाता है, अतः उक्त भूमि ...के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर, इसके स्थान पर उक्त भूमि ...वादी के नाम से दर्ज की जावे तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि ...र लगान भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में ...अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। अतः डिक्री जारी की जाती है ... शून्य ... पक्षकार इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज...शून्य....दर रूप्ये.....शून्य..आज्ञा की तिथि से ... दिवस तक अदा करें।

...2... लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:37:25 IST
Reason: SelfAttested

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को जारी की गई।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

| वादी | राशि (00.00) | प्रतिवादी | राशि (00.00) |
|---|---|---|---|
| म्प वाद पत्र | 00.00 | स्टाम्प वकालतनाम | 00.00 |
| म्प वकालतनाम | 00.00 | स्टाम्प आवेदन पत्र | 00.00 |
| म्प अभिलेखीय साक्ष्य | 00.00 | वकील शुल्क | 00.00 |
| ील शुल्क | 00.00 | व्यय साक्षीगण | 00.00 |
| य साक्षीगण | 00.00 | आयुक्त शुल्क | 00.00 |
| युक्त शुल्क | 00.00 | व्यय इजराय | 00.00 |
| कुल | 00.00 | कुल | 00.00 |

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:25 IST
Reason: SelfAttested

विविध पत्रावली 2024/000

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

अजय ढाका बनाम अशोक कुमार व अन्य

प्रकरण संख्या 2024/062

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

| दिनांक | आदेश अथवा कार्यवाही विवरण | आदेश कमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| .2024 | वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 22 अक्टुबर, 2024 को पेश हो. | |
| 22.10.24 | अधिवक्तागण उप. वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 व 02 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा मय अपने-2 पहचान पत्र की स्वप्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत की एवं आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी सं. 01 व 02 की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रोबिन [illegible] द्वारा की गई। राजीनामा मय तसदीक शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब राजीनामा हेतु दिनांक 24.10.24 को पेश हो | (अजय ढाका - वादी) 22.10.24 Identified 22.10.24 |
| 24.10.24 | अधिवक्ता उभयपक्ष उप. राज्य पैरोकार उप. जवाब राजीनामा प्रस्तुत, शामिल पत्रावली किया, पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28.10.24 को पेश हो | |
| 28.10.24 | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। [illegible] द्वारा राजीनामा [illegible] हेतु निवेदन किया। [illegible] राजीनामा दिनांक 22.10.24 [illegible] स्वीकार किया जाता है। [illegible] निर्णय पृथक से [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता [illegible] जाती की [illegible] पत्रावली [illegible] दर्ज रजिस्टर [illegible] की जाकर [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:25 IST
Reason: SelfAttested